रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17, 2010/आषाढ़ 26, 1932
No. 178] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17, 2010/ASADHA 26, 1932

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

### (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

**सं. 25-सीए(48)/2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री सुरेश धांजीभाई चौहान (सदस्यता सं. 034827), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 196डी, केवल क्रॉस लेन-7, वीगास स्ट्रीट, मुंबई-400002, को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (8) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री सुरेश धांजीभाई चौहान को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री सुरेश धांजीभाई चौहान (सदस्यता सं. 034827) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)
[विज्ञापन-III/4/104/10-असा.]

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA(48)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Suresh Dhanjibhai Chauhan (Membership No. 034827) Chartered Accontant, 196D, Caval Cross Lane-7, Vigas Street, Mumbai 400002 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of Clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Suresh Dhanjibhai Chauhan has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) year. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Suresh Dhanjibhai Chauhan (Membership No. 034827) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) year with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए(37)/1999.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री जी. मोहन राजू (सदस्यता सं. 019735), चार्टर्ड एकाउंटेंट, सं. 3, 'वाई' ब्लॉक, 5वां मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई-600040 को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री जी. मोहन राजू को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री जी. मोहन राजू (सदस्यता सं. 019735) का नाम 17 जुलाई, 2010 से तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10-असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA(37)/1999.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri G. Mohan Raju (Membership No. 019735) Chartered Accountant, No. 3 'Y' Block, 5th Main Road, Anna Nagar, Chennai-600040 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri G. Mohan Raju has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three (3) months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri G. Mohan Raju (Membership No. 019735) shall stand removed from the Register of Members for a period of three (3) months with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए(226)/2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री सुनीलकुमार प्रवीणचंद्र शाह (सदस्यता सं. 037483), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 103, ओलिव कोर्ट, परमार पार्क, फेस-1, वानावरी, पुणे-411040 को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री सुनीलकुमार प्रवीणचंद्र शाह को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री सुनीलकुमार प्रवीणचंद्र शाह (सदस्यता सं. 037483) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10-असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA(226)/2002.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Sunilkumar Pravinchandra Shah (Membership No. 037483) Chartered Accountant, 103, Olive Court, Parmar Park Phase-I, Wanawrie, Pune-411040 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of clause (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Sunilkumar Pravinchandra Shah has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Sunilkumar Pravinchandra Shah (Membership No. 037483) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए( 42 )/2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री मनोहर सिंह सिहटवाडिया (सदस्यता सं. 003329), चार्टर्ड एकाउंटेंट, फ्लैट सं. 303, तीसरा तल, श्री श्रीयांस बिल्डिंग, लाखड़ गंज कच्ची ओसवाल भवन के पास, नागपुर-440002 को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग III के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात्, पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री मनोहर सिंह सिंहटवाडिया को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री मनोहर सिंह सिंहटवाडिया (सदस्यता सं. 003329) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10/असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**F. No. 25-CA(42)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Manohar Singh Singhatwadia (Membership No. 003329) Chartered Accountant, Flat No. 303, 3rd Floor, Shree Shriyance Building, Lakhad Gunj, Near Kachhi Oswal Bhawan, Nagpur-440002 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part III of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Manohar Singh Singhatwadia has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) year. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Manohar Singh Singhatwadia (Membership No. 003329) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) year with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए( 61 )/2000.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री दौलाल हनुमानदास भट्टेर (सदस्यता सं. 016937), मैसर्स भट्टेर एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 307, तुल्सियानी चैम्बर्स, नरिमन प्वांइट, मुम्बई-400021, को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री दौलाल हनुमानदास भट्टेर को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री दौलाल हनुमानदास भट्टेर (सदस्यता सं. 016937) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10/असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**F. No. 25-CA(61)/2000.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Daulal Hanumandas Bhatter (Membership No. 016937), M/s. Bhatter & Co., Chartered Accountants, 307, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai-400021 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Daulal Hanumandas Bhatter has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Daulal Hanumandas Bhatter (Membership No. 016937) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए ( 117 )/1999.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री शिव हरी गर्ग (सदस्यता सं. 085517), चार्टर्ड एकाउंटेंट, ए/424, दूसरा तल, वाशी प्लाजा, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुम्बई-400073, को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (8), (9) और (12) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री शिव हरी गर्ग को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री शिव हरी गर्ग (सदस्यता सं. 085517) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10/असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA (117)/1999.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Shiv Hari Garg (Membership No. 085517), Chartered Accoutant, A/424, Second Floor, Vashi Plaza, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400073 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of Clauses (8), (9) and (12) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Shiv Hari Garg has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Shiv Hari Garg (Membership No. 085517) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए ( 52 )/2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री गणेश घनश्यामदास छाबड़िया (सदस्यता सं. 038810), मैसर्स जी.जी. छाबड़िया एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट, 41ए, शंकर सेठ बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, गीरगाम, मुम्बई-400002, को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री गणेश घनश्यामदास छाबड़िया को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री गणेश घनश्यामदास छाबड़िया (सदस्यता सं. 038810) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10/असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA (52)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Ganesh Ghanshamdas Chhabria (Membership No. 038810), M/s. G. G. Chhabria & Co., Chartered Accountant, 41A, Shankar Seth Building, above Bank of Baroda, Girgaum, Mumbai-400002 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Ganesh Ghanshamdas Chhabria has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Ganesh Ghanshamdas Chhabria (Membership No. 038810) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए (65)/1999.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री प्रवीण कुमार कत्याल (सदस्यता सं. 082539), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 28, पुष्पा सेन्ट्रल मार्केट, दूसरा तल, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात्, पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री प्रवीण कुमार कत्याल को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री प्रवीण कुमार कत्याल (सदस्यता सं. 082539) का नाम 17 जुलाई, 2010 से तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/104/10/असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA (65)/1999.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Praveen Kumar Katyal (Membership No. 082539), Chartered Accountant, 28, Pushpa Central Market, 2nd Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Praveen Kumar Katyal has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three (3) months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Praveen Kumar Katyal (Membership No. 082539) shall stand removed from the Register of Members for a period of three (3) months with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए (135)/2002; 25-सीए (138)/2002; 25-सीए (139)/2002; 25-सीए (140)/2002 और 25-सीए (254)/ 2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री पदम चंद जैन (सदस्यता सं. 034966), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 202, एम. वी. हाऊस, हाजीपुरा गार्डेन के सामने, शाही बॉग रोड, शाही बॉग, अहमदाबाद-380004 को, अन्य बातों के साथ, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (8) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार के पांच मामलों का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री पदम चंद जैन को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन पांचों मामलों में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए, जो पूर्वोक्त मामलों के लिए साथ-साथ चलेगा । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री पदम चंद जैन (सदस्यता सं. 034966) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन-III/4/143/10-असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**Nos. 25-CA(135)/2002;25-CA(138)/2002; 25-CA(139)/2002; 25-CA(140)/2002 and 25-CA(254)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Padam Chand Jain (Membership No. 034966) Chartered Accontant, 202, M.V. House, Opp. Hajipura Garden, Shahi Baug Road, Shahi Baug, Ahmedabad-380004 has been, *inter alia,* found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, in the five cases of professional misconduct falling within the meaning of clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Padam Chand in all the five cases has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month for the aforesaid cases concurrently. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Padam Chand Jain (Membership No. 034966) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT-III/4/143/10-Exty.]

2727 GI/10-2

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए(12)/2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री बिजन कुमार भट्टाचार्जी (सदस्यता सं. 052168), चार्टर्ड एकाउंटेंट, कृष्णा मार्केट, मयूर होटल के दायीं ओर, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781 008, को, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (8) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री बिजन कुमर भट्टाचार्जी को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री बिजन कुमर भट्टाचार्जी (सदस्यता सं. 052168) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन III/4/104/10-असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA(12)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Bijon Kumar Bhattacharjee (Membership No. 052168) Chartered Accountant, Krishna Market, Right Side of Mayur Hotel, Paltan Bazar, Guwahati-781 008 has been, found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Bijon Kumar Bhattacharjee has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Bijon Kumar Bhattacharjee (Membership No. 052168) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT.-III/4/104/10-Exty.]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

**( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स )**

**सं. 25-सीए(109)/2002.**—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री राजेश सुहालका (सदस्यता सं. 077294), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 327-328, एस. एम. लोधा कॉम्प्लेक्स, कोर्ट चौराहा के पास, उदयपुर-313 001, को, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I के खंड (8) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात् पूर्वोक्त कदाचार के संबंध में, संस्थान की परिषद् ने उक्त श्री राजेश सुहालका को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री राजेश सुहालका (सदस्यता सं. 077294) का नाम 17 जुलाई, 2010 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

**No. 25-CA(109)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that Shri Rajesh Suhalka (Membership No. 077294) Chartered Accountant, 327-328, S. M. Lodha Complex, Near Court Churaha, Udaipur-313 001 has been found guilty by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct falling within the meaning of clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Rajesh Suhalka has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said Shri Rajesh Suhalka (Membership No. 077294) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 17th July, 2010.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT. III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.